

अनमोल दावा

जब तक तुम दौड़ने का साहस
नहीं जुटाओगे तब तक तुम्हारे
लिए प्रतिरक्षण में जीतना
सदैव असंभव बना रहेगा।

चुनाव आयोग का फैसला
और एनसीपी पर पहला हक,
पार्टी को जमीन पर खड़ा
करने वाले की अहमियत

कुछ समय पहले शिवसेना में बंटवारे के संदर्भ में भी चुनाव आयोग ने लगभग इसी तरह का फैसला दिया था, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना करार दिया गया। इस पर उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों ने निराशा जताई थी अब यह स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा अधिकारिक रूप से किस गुट के हिस्से रहेगी, मगर प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच राजनीतिक दावपेच और खोन्चतान के समारंथ यह सवाल भी उठा है कि किसी पार्टी पर अपना पक्ष बदलने वाले समूह का नियंत्रण हो या उस दल के बचे हुए मूल सदस्यों का। गोरतलब है कि अब शरद पवार गुट की पार्टी का नया नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) होगा और चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है।

हालांकि चुनाव आयोग ने लंबे विचार-विवरण के बाद अपने फैसले में शरद पवार से अलग हुए अजित पवार और उनके गुट को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करार दिया था और उसका चुनाव चिह्न भी उसे ही सौंपा था। इसलिए माना जा सकता है कि आयोग के पास ऐसे निर्णय तक पहुंचने के अपने आधार होंगे। सवाल यह है कि जिन लोगों ने काफी मेहनत से कोई पार्टी खड़ी की होती है, उसे एक विचाराधारात्मक पहचान दिया होता है, क्या उनके पक्ष की कोई अहमियत नहीं होती है? इस तरह के मामलों में चुनाव आयोग के फैसलों पर भी संबंधित गुट की ओर से अंगुली उठाई जाती है।

दरअसल, कुछ समय पहले शिवसेना में बंटवारे के संदर्भ में भी चुनाव आयोग ने लगभग इसी तरह का फैसला दिया था, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना करार दिया गया। इस पर उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों ने निराशा जताई थी अब यह स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा अधिकारिक रूप से किस गुट के हिस्से रहेगी, मगर प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच राजनीतिक दावपेच और खोन्चतान के समारंथ यह सवाल भी उठा है कि किसी पार्टी पर अपना पक्ष बदलने वाले समूह का नियंत्रण हो या उस दल के बचे हुए मूल सदस्यों का। गोरतलब है कि अब शरद पवार गुट की पार्टी का नया नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) होगा और चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी दे दी है।

